Dr.Raman Kumar Thakur
Assistant professor (Guest)
Department of Economics,
D.B.College jaynagar, Madhubani,
L.N.M.U.Darbhanga.

PAPER- 4) " INDIAN ECONOMY "

Class:-B.A.part-2 (General & Subsidiary)

Date:-15 May 2020

Topic:- " फेरा' और 'फेमा 'में अंतर "

(Difference between FERA and FEMA)

:- फेरा व फेमा में मुख्य अंतर इस प्रकार से देखा जा सकता है:-

1). फेरा 1973 का मुख्य उद्देश्य जहां विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना था वहीं फेमा' 1999 का उद्देश्य ,विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित रखरखाव को बढ़ावा देना है.

2). भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश संबंधी नियम 'फेरा' की तुलना में 'फेमा' अधिक उदार एवं पारदर्शी है।

3). 'फेरा' के तहत सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त का होता था, जबकि 'फेमा' के तहत यह दायित्व प्रवर्तन एजेंसी का होगा।

4). विदेश यात्राओं व अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्राओं के आहरण की सीमाएं फेरा' की तुलना में फेमा' में काफी अधिक निर्धारित की गई है।

5). भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश संबंधी फेरा' की तुलना में फेमा' अधिक उदार एवं पारदर्शी है ।

6).' फेरा' उल्लंघन के मामले में दंड की राशि जहां संबंध राशि के 5 गुना तक हो सकती थी वहीं नए फेमा के तहत यह अधिकतम 3 गुना ही होगी ।

* ' फेमा' के कुछ विशिष्ट प्रावधान है जो इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:-

1) दान के रुप में भी अब $1000 के स्थान पर $5000 तक की राशि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना प्रेषित की जा सकेगी।

2) नए अधिनियम फेमा' के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा क्या की सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

3) व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी सेमिनार में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले को प्रति फेरे 25000 डॉलर तक की राशि
के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही विदेश प्रवास की अवधि कितनी भी हो।

5) फेरा' से अलग हटकर एक अन्य प्रमुख परिवर्तन जो फेमा' में किया गया है वह यह है कि फेरा' के तहत जहां सिद्ध करने दायित्व आरोपी का था वही फेमा' के तहत यह दायित्व अब प्रवर्तन एजेंसी का होगा।